

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत पालोली

62-64
23-5-2017 :- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पालोली व भू.अ.नि. डिकोली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोरा/नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम विशखिडा तहसील सपोरा व जिला करौली की जमाबन्दी सन्वत् 2070-73 में खाता संख्या 42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>विशखिडा</u>	<u>42</u>	<u>केदार बेवा मिश्री</u> <u>हि०/१६ किला०</u> <u>राजस्वकम काडू</u> <u>राजस्वकम पिठसोवला</u> <u>हि०क.१६ कौम</u> <u>सोना लठकेट</u> <u>सपोरा</u>	<u>केदार बेवा मिश्री</u> <u>हि०/१६ किला०</u> <u>राजस्वकम काडू</u> <u>राजस्वकम पिठसोवला</u> <u>हि०क.१६ कौम</u> <u>सोना लठकेट</u> <u>सपोरा</u>

Piy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोरा, जिला-करौली (राज०)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 23/5/17

क्र.सं.- सपोरा/2017/62-64
प्रतिदिने-

1. तहसीलदार सपोरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री केदार बेवा मिश्री विशखिडा को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

प्राप्त
23/5/17

Piy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
लोक अदालत
सपोरा, जिला-करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

अमावसी ग्राम-खिरखिा में संवत् 2070-73 के खाता सं. 424 दर्ज जारी चमार के स्थान पर जारी बरेवा किया जाना प्रस्तावित है।

23/11/17
23/11/17
सुपुंखण्डवालोनी

23/11/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का-वालोनी एवं ILR डिफेन्सीकरण के ग्राम खिरखिा में संवत् 2070-73 में अमावसी के खाता सं. 424 दर्ज जारी चमार के स्थान पर अमावसी चमार के स्थान पर दर्ज कराने का अनुरोध भी जारी है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
सपोटरा जिला-करौली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, ILR एवं तहसीलदार लोअर के अन्तर्गत चर खीका किया जाता है। लोअर पृथक्के जारी हो/प्राप्त होने के लिये सुधार होकर नम्बर दे करे कृपया ध्यान दें।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)